

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन, जिला करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बुनकर आर.ए.एस

मु०नं० 96/2015

तारीख रजू:- 13.08.2015


गोपाल बनाम नवल राम बगै०

दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

26.09.2019 पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं आया। बार-बार आवाज दिलाने पर भी कोई उपस्थित नहीं आया है ना ही कोई आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः वादी का दावा धारा 53,188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, खिलाफ प्रतिवादीगण का अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।


उप खण्ड अधिकारी
हिण्डौन